# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक:      /2012 पुर्नविलोकन  2556/PBR/2012

मंहन्त जयनारायण दास चेला स्व. रामचरण दास निवासी बिहारी जी की बगिया लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर म0प्र0

—— प्रार्थी

बनाम

हरीदास तथाकथित शिष्य रामचरण दास निवासी राम जानकी मंदिर के पास, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियरम 0प्र0

—— प्रतिप्रार्थी

श्री जीतेन्द्र मिश्रा, अभि0
द्वारा आज दि. 13-8-12
प्रस्तुत
13-8-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.

Jitendra Mishra

## प्रार्थना पत्र वास्ते पुर्नविलोकन श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1794/PBR/10 मे पारित आदेश दिनांक 7–6–2012 के विरूद्ध

श्रीमान्

प्रार्थी का पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1– यहकि, प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 65/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–9–2010 के विरूद्ध विधिवत निगरानी श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसको श्रीमान् न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का बिना रिकार्ड तलब किये ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना जाकर निगरानी निरस्त कर दी गई जिसके विरूद्ध यह पुर्नविलोकन आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2– यहकि, श्रीमान् न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान व रिकार्ड के विपरीत होने से निरसन योग्य है ।

3– यहकि, प्रार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी बल्कि कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 65/06–07 द्वितीय अपील में पारित

R 2556-PBR/12 ग्वालियर

| | | |
|---|---|---|
| 10.3.2016 | रा.द.<br>आवेदक की ओर से श्री अजय शर्मा अभिभाषक उपस्थित। यह प्रकरण पुजारी की नियुक्ति से सम्बन्धित है। पुजारी की नियुक्ति प्रशासकीय कार्यवाही होने से इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि वे धर्मस्व विभाग में कार्यवाही करें। यह पुनरावलोकन निरस्त किया जाता है।<br>अध्यक्ष | 10/3/16 |

[illegible]—60—छींदी—3-5-11—10,000 प्रपत्र.